


कुटेशन सूचना

इस केन्द्र के वाहन अनुभाग में वाहन चलाने से संबंधित निम्नलिखित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करवाने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों/प्राइवेट पार्टों से अपनी उचित व न्यूनतम दर मासिक अघार पर प्रस्तुत करने के लिए कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। साथ ही ठेकेदार के पास पैन न0 होना आवश्यक है। ठेकेदार की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा सेवानिवृत्त सैनिकों को बरियता दी जायेगी। सरकारी एवं लोक सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नियम व शर्तें :

1. कुटेशन सादा कागज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम बन्द लिफाफे में स्वीकार किये जायेंगे, कुटेशन केन्द्र में दिनांक 23.01.2016 दोपहर बाद 2.00 बजे तक प्रस्तुत करना है। सशर्त / तार व डाक द्वारा भेजी गई तथा देर से प्राप्त कुटेशनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कुटेशन उसी दिन दोपहर बाद 2-30 बजे कुटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगे। कुटेशन दाता के पास पैन न0- अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होनी।
2. ठेकेदार को कुटेशन के साथ 1000-00 रुपये मात्र साई राशि जो कि बैंक ड्राफ्ट द्वारा CSWRI Unit NTRS Garsa के नाम देय हो के रूप में जमा कराना पड़ेगा। बिना धरोहर राशि के कोई कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जायेगी तथापि सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिक दर को यदि अनुबन्ध पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है।
4. दर प्रति माह के हिसाब से प्रस्तुत करना है। अनुबन्ध की अवधि 12 माह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान या कार्य अस्तोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। इस दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
5. सफल दरदाता को कुल ठेका राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी जिसमें साई राशि भी समायोजित की जा सकती है। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्ल्यू. आर.आई. यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट शाखा बैंक भूतर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं। यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी।
6. ठेकेदार/प्रतिनिधि से संस्थान का कोई भी वाहन (जीप/ट्रेक्टर/ अन्य) चलवाया जा सकता है।
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि का समय मुख्यालय पर रहने पर समय सीमा कार्यालय समय अनुसार होगी।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि के बाहर जाने की स्थिति में समय सीमा नहीं है।
9. ठेकेदार/प्रतिनिधि से सेक्टर ड्यूटी, टी.ओ.टी. एरिया, मुन्तार-कुल्लू के लोकल इन्डेंट भी पूरे करने होंगे एवं जयपुर, दिल्ली, व अन्य लम्बी दूरी के लिये भी भिजवाया जा सकता है।
10. ठेकेदार/प्रतिनिधि को वाहन चलाने के साथ गाड़ी का रख-रखाव का भी ध्यान रखना होगा एवं गाड़ी की लोगबुक समय अनुसार पूरी करनी होगी। वाहन अनुभाग का कार्य न होने पर कार्यालय सम्बन्धी अन्य कार्य करना होगा।
11. ठेकेदार/ प्रतिनिधि को गाड़ी चलाने का अनुमति होना चाहिये। यदि आवश्यकता महसूस की गई तो गाड़ी भी चलवाई जा सकती है।
12. ठेकेदार/प्रतिनिधि के पास मोटर व्हीकल लाईसेन्स होना अनिवार्य है और ठेकेदार/प्रतिनिधि को कम से कम दसवीं पास होना आवश्यक है। इस के लिये दोनों दस्तावेज की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा। सेवानिवृत्त के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा। सफल ठेकेदार को ठेका प्रदान होने से पूर्व नियमानुसार इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।
13. ठेकेदार/ प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा बी.डी. शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिये। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदार/ अवज्ञा की गई तो ठेका निरस्त किया जा सकता है। ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
14. अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की सम्पत्ति को बचाना होगा। यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा। अन्यथा उनके देय बिल में से काट लिया जायेगा।
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा। ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिनों में वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अतिकानगर द्वारा किया जायेगा। नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा।
17. प्रभारी वाहन अनुभाग/ अध्यक्ष महोदय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
18. केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/ सभी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
19. यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी।


कार्यकारी अध्यक्ष

वितरण:

1. सूचना पट्ट, एन.टी. आर. एस. गडसा
2. श्रीमान निदेशक महोदय, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अतिकानगर (वाया जयपुर) को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रभारी एरीस सैल केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अतिकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संलग्न निविदा सूचना को संस्थान की वेब साईट में वृहत प्रचार हेतु अपलोड करने की कृपा करें।
4. प्रधान ग्राम पंचायत दियार, गडसा, शियाह, हुरला, थरास, भलाण-1, नरेश, ठेला, नगर पंचायत मुन्तार 1
5. प्रभारी वाहन एवं कार्यशाला अनुभाग को वृहत प्रचार हेतु प्रेषित है।